राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 49/06–07

विषय–श्री धर्मलाल सिंह, सेवानिवृत नलकूप चालक, ग्राम–पेगा, पो0–गुंडी, जिला–भोजपुर का प्राप्त आवेदन–पत्र।

09.11.2006 आवेदन की छायाप्रति संलग्न करतेह हुए कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, जहानाबाद से दिनांक–01.12.06 तक तक कंडिकावार प्रतिवेदन की मांग करें तथा दिनांक–06.12.06 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित कागजातों के साथ सुनवाई हेतु अपने लोक सूचना पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें। सचिव, लद्यु सिचाई विभाग को भी सूचित किया जाय कि वे लोक सूचना पदाधिकारी को आवश्यक कागजातों के साथ उक्त तिथि को सुनवाई के समय उपस्थित होने का निर्देश दें तथा आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.12.2006 दिनांक 09.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 श्री कपिलेश्वर झा, कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, जहानाबाद एवं लद्यु सिचाई विभाग के उपसचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित थे। आवेदक के पुत्र भी उपस्थित थे। कार्यपालक अभियन्ता ने श्री धर्मलाल सिंह, नलकूप चालक, सेवानिवृत को स्वीकृत द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के अन्तर का वेतन का विपत्र बनाकर जहानाबाद कोषागार को समर्पित किया है। जितनी राशि का विपत्र तैयार किया गया है, वह आवेदक के पुत्र के द्वारा मान्य नहीं है। साथ ही साथ वर्ष 2004 से अबतक मामले के लंबित रखने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जवाबदेही का निर्धारण भी नहीं किया गया है। आयोग ने निदेश दिया कि लोक सूचना पदाधिकारी के सम्मुख सारे कागजात रखे जांय एवं जवाबदेही का निर्धारण किया जाय। मामले की छानबीन की जाय एवं दिनांक 18.01.07 को प्रातः 10.30 बजे आयोग के सम्मुख पूर्ण विवरणी रखी जाय। सुनवाई के समय विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियन्ता एवं आवेदक भी उपस्थित रहें।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

18.01.2007 वादी उपस्थित हैं। उपसचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, लधु सिचाई विभाग एवं कार्यपालक अभियन्ता श्री कपिलेश्वर झा भी उपस्थित हैं। कार्यपालक अभियन्ता का प्रतिवेदन दिनांक– 17.01.07 देखा गया जो अपूर्ण एवं असंतोषजनक है। दिनांक– 08.01.07 के दिये गये निदेश का पालन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है। आयोग श्री झा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्रवाई करने के लिए विचार कर रही है परन्तु श्री झा ने क्षमा–याचना की है एवं आयोग के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु एक सप्ताह का अनुरोध किया है। आयोग श्री झा को अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक– 08.01.07 के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मौका प्रदान करता है।

इस वाद की पुनः सुनवाई दिनांक– 02.02.07 को प्रातः 10.30 बजे होगी।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

02.02.2007 वादी उपस्थित है। लद्यु सिचाई विभाग के उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, जहानाबाद भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। वादी ने बताया कि वर्ष 89 से 92 तक की अवधि का भुगतान उनको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है और न ही उन्हें इस सम्बन्ध में विवरणी उपलब्ध करायी गयी है। कार्यपालक अभियन्ता ने बताया कि यह भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है तथा विवरणी उन्हें निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

लद्यु सिचाई विभाग से बारह व्यक्तियों का नाम एवं पता अवधि के साथ उपलब्ध कराया गया है। जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बारे में विभाग द्वारा बताया गया कि इन लोगों के उदासिन रवैये और अकर्मण्यता के कारण उनको सूचना के अधिकार के तहत सूचना मिलने में विलम्ब हुआ है। सुनवाई के दौरान यह बात भी प्रकाश में आई की राज्य सरकार के निदेश के बाद भी यह मामला 2004 से कार्यपालक अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारी के पास लम्बित रखा गया था। इस परिस्थिति में आयोग का निदेश है कि सचिव, लद्यु सिचाई विभाग पत्र संख्या– आईडी–06/06–561, दिनांक–01.02.07 द्वारा संसूचित बारह पदाधिकारियों एवं कर्मचारियेां पर जवाबदेही का निर्धारण करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चला कर दण्डित करने की कार्रवाई करें तथा आयोग को निश्चित रूप से तीन माह के अन्दर की गयी कार्रवाई से अवगत करावें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त